कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 11.09.2017

- ***22 ग्राम 180 मिलीग्राम अवैध स्मैक सहित एक आरोपी गिरफ्तार –***

पुलिस अधीक्षक करौली, अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में अवैध रूप से मादक पदार्थो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 10.09.2017 को थाना हिण्डौनसिटी द्वारा गोपाल पुत्र कल्याणप्रसाद उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा थाना हिण्डौनसिटी को 22 ग्राम 180 मिलीग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना हिण्डौनसिटी इलाका क्षेत्र में मादक पदार्थो के बिक्री की सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी। दिनांक 10.09.17 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति गौशाला हिण्डौन के पास स्मैक सप्लाई करने आ रहा है। जिस पर हेमेन्द्रसिंह उप निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु सांकेतिक स्थान पर रवाना किया। हेमेन्द्रसिंह उपनिरीक्षक मय जाप्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति गौशाला के पास बैठा हुआ दिखाई दिया जो पुलिस गाडी को देखकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर जाने लगा। जिसे हेमेन्द्रसिंह उपनिरीक्षक ने मय जाप्ता की मदद से पकडा और नाम पता पूछा तो अपना नाम गोपाल पुत्र कल्याणप्रसाद उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा थाना हिण्डौनसिटी जिला करौली का होना बताया । गोपाल की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिला। उक्त मादक पदार्थ के रखने तथा परिवहन करने का गोपाल से अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। गोपाल को मौके पर गिरफ्तार कर स्मैक का शुद्व बजन 22 ग्राम 180 मिलीग्राम अवैध मादक प्रदार्थ स्मैक बरामद की जिस पर थाना हिण्डौनसिटी पर अभियोग संख्या 689/17 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुल्जिम गोपाल से अवैध स्मैक के कारोबार में लिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में कडाई से पूछताछ की जा रही है।

- ***02 वारन्टी गिरफ्तार –***

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 10.09.2017 को हरकेश हैडकानि0 86 के द्वारा न्यायालय श्रीमान सीजेएम करौली के कोर्ट केस नं0 416/08 की पालना में वारंटी 01. रामसिंह पुत्र छिंगाराम जाति माली निवासी मैगजीन के पास करौली को मैगजीन करौली से गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार दिनांक 10.09.2017 को हरकेश हैडकानि0 86 के द्वारा न्यायालय श्रीमान सीजेएम करौली के कोर्ट केस नं0 75/12 की पालना में वारंटी 01. भूरा पुत्र रमेश जाति बैरबा निवासी परीता थाना कुडगांव को तीनबड करौली से गिरफ्तार किया गया।

- ***04 जुआरी गिरफ्तार जुआ राशि 1020 रूपये जप्त –***

थाना सदरकरौली – दिनांक 10.09.2017 को चन्द्रहुसैन सहायक उपनिरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्रम अटा में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर ग्राम अटा से आरोपी 1. अमृत पुत्र रामगिलास 02. हरसहाय पुत्र नथूआ 03. भगवान पुत्र नथूआ 04. धारा पुत्र धमण्डी जातियान मीना निवासी तरौली थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 1020/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 132/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

- ***हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार –***

थाना कुडगांव – दिनांक 29.08.2017 को राजूलाल पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी बाजीदपुर के द्वारा आपसी रंजिश को लेकर अपने भाई भरोसी मीना की लाठी –डण्डों से मारपीट कर हत्या करने का अभियोग संख्या 101/17 धारा 302,34 भा.द.स. में पंजीबद्व करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी 1. नेतराम पुत्र मूडया जाति मीना निवासी बाजीदपुर थाना कुडगांव को दिनांक 10.09.2017 को गिरधारीलाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी कुडगांव के द्वारा गांव बाजीदपुर से गिरफ्तार किया गया।

- ***सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में डैक मशीन बजाने के 01 आरोपी गिरफ्तार –***

थाना सदर करौली – दिनांक 10.09.2017 को चन्द्रहुसैन सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा मौजा अटा में सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में डैक मशीन बजाने पर आरोपी राजाराम पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी अटा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 131/17 धारा 4/6 आर.एन.सी. एक्ट में कायम कर डैक मशीन, मैमोरी कार्ड, स्पीकर को जप्त किया गया।

- ***52 पव्वे अवैध देशी शराब जप्त, 01 आरोपी गिरफ्तार –***

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 11.09.2017 को महेशचन्द हैडकानि0 1532 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की गांव झारेडा की तरफ से एक व्यक्ति अवैध देशी शराब लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी सुरेश पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी झारेडा थाना सदर हिण्डौन को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 52 पव्वा देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 491/17 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में पंजीबद्व कर अनुसंधान जारी है।

- ***दहेज प्रताडना में 02 आरोपी पति गिरफ्तार –***

थाना बालघाट – दिनांक 19.08.2017 को श्रीमति पिंकी पुत्री जगमोहन पत्नि नीरज जाति छिपा निवासी बालघाट के द्वारा दहेज कि मांग को लेकर तंग व परेशान करने का मु0न0 183/17 धारा 498–ए, 406 323,भा.द.स. में पंजीबद्व करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी 1. नीरज पुत्र कैलाश 02. कैलाश पुत्र शिवनारायण जातियान छिपा निवासीयान गौरव बिहार रामपुरा रोड सांगानेर जयपुर को दिनांक 10.09.2017 को अतरसिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी बालघाट के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

- ***शांति भंग करने पर 05 व्यक्ति गिरफ्तार –***

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 10.09.2017 को हरकेश हैडकानि0 86 के द्वारा दौराने गस्त शिकारगंज करौली में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. राजपाल पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी गांगूरदा थाना सपोटरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना टोडाभीम – दिनांक 11.09.2017 को देवेन्द्रसिंह उपनिरीक्षक के द्वारा दौराने गस्त कस्बा बालाजी में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. भैरोसिंह पुत्र बाबूलाल जाति बंजारा निवासी मीना खेडिया थाना सलेमपुर जिला दौसा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना सपोटरा – दिनांक 10.09.2017 को बनयसिंह हैडकानि0 119 के द्वारा दौराने गस्त नारौली मोड पर गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. विजय पुत्र रामगिलास जाति मीना निवासी फूलवाडा 02. दिलीप पुत्र शंकर जाति मीना निवासी जोडली 03. उमेश पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी डाबर थाना सपोटरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।